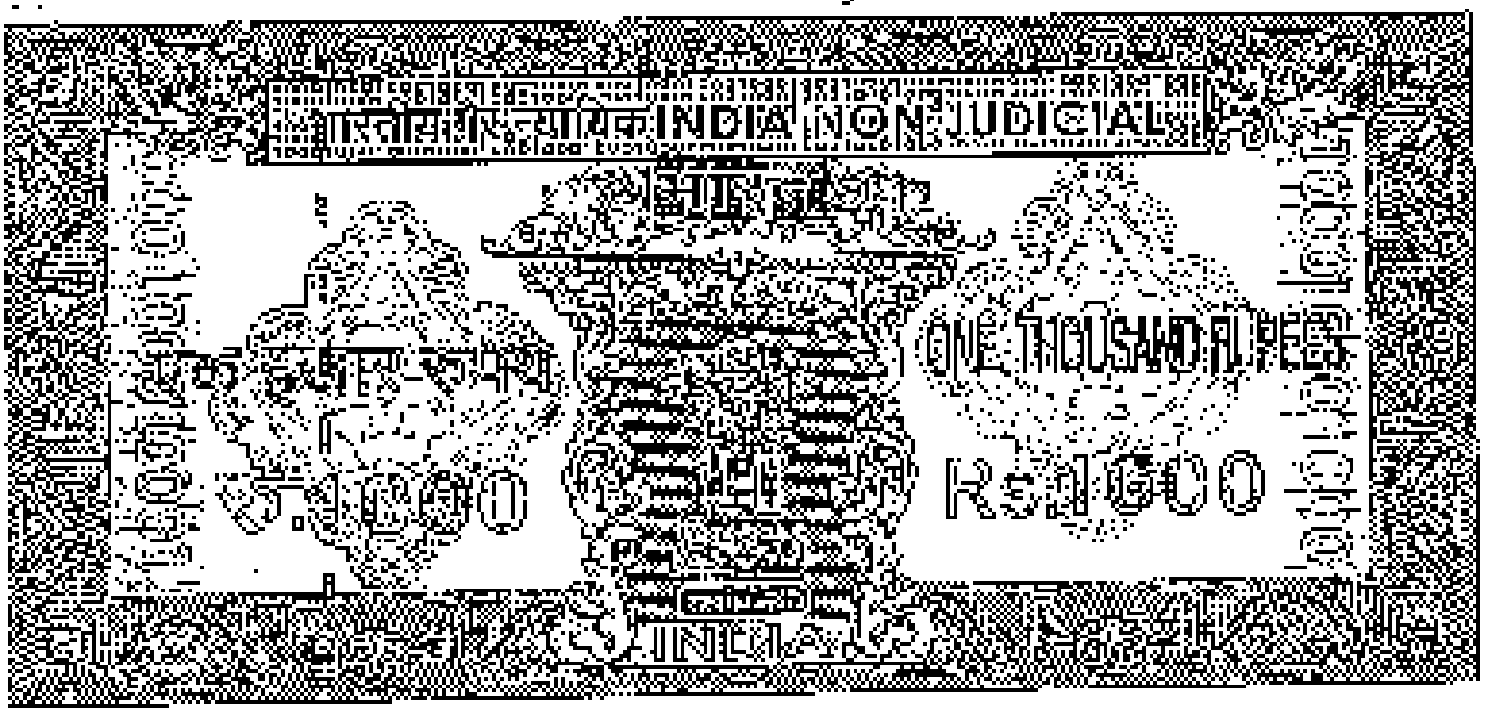

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

JM 845031

दस्तावेज ट्रस्ट(डीड / न्यास पत्र)

अतः कि श्रीमती माया यादव पत्नी श्री लालबचन यादव ग्राम – नेगापुर, पोस्ट–रूपी रसोंपट्टी तहसील–बेल्थरा रोड, जनपद–बलिया (उ0प्र0) 221716 द्वारा ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जो दिनांक 25.07.2016 को अस्तित्व में लाया गया। इस संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय,आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरणसुरक्षा,आध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा,वैदिक जागरूकता,शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा,गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति,अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष कार्य करने के कारण ट्रस्टडीड की स्थापना करते है। श्रीमती माया यादव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व श्री लालबचन यादव, पदासीन संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए श्री उर्वशी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा करती है। ट्रस्ट का मान्यता निम्नवत है।

माया

[illegible]

[illegible] बेल्थरा रोड [illegible]

उप जिलाधिकारी
बेल्थरा रोड (बलिया)

[illegible]

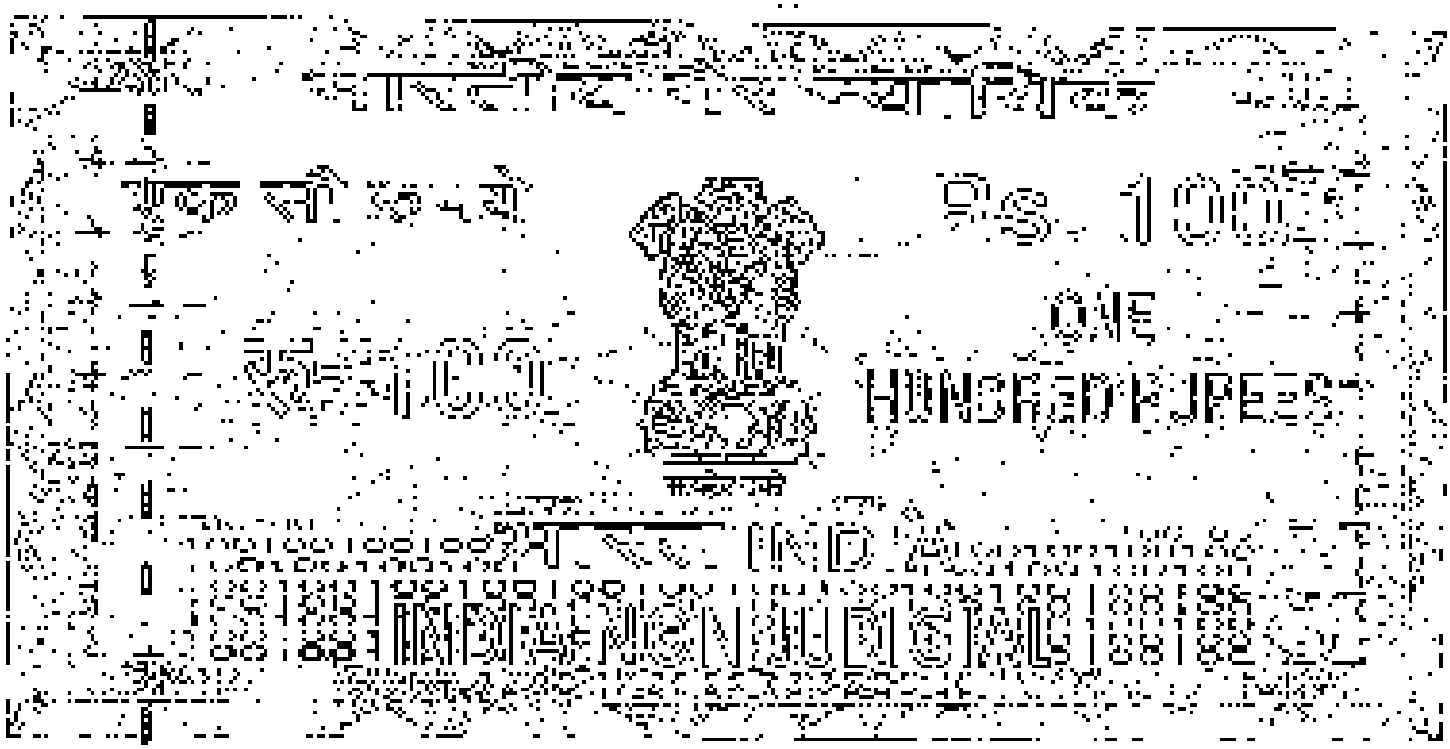

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 684464

ट्रस्ट (न्यास) का नाम — श्री रामदेव एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता— नेवादा, पोस्ट—बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड, जनपद—बलिया (उ0प्र0)—221716

मुख्यालय— पंजीकृत कार्यालय ग्राम—नेवादा, पोस्ट—बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड, जनपद—बलिया (उ0प्र0)— 221716

आवश्यकतानुसार ट्रस्ट का कार्यालय स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं।

(1) श्रीमती रम्भा यादव पत्नी श्री लालबचन यादव
ग्राम—नेवादा, पोस्ट—बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड, (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)
जनपद—बलिया (उ0प्र0)— 221716

(2) श्री लालबचन यादव पुत्र स्व.रामदेव यादव
ग्राम—नेवादा, पोस्ट—बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड (आजीवन संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)
जनपद—बलिया (उ0प्र0)— 221716

(3) रजनीश कुमार यादव पुत्र श्री लालबचन यादव
ग्राम—नेवादा, पोस्ट—बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड,बलिया। (सदस्य)

(4) कु0 प्रियंका यादव पुत्री श्री लालबचन यादव
ग्राम—नेवादा, पोस्ट—बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड,बलिया। (सदस्य)

(5) कु0 अर्चना यादव पुत्री श्री लालबचन यादव
ग्राम—नेवादा, पोस्ट—बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड,बलिया। (सदस्य)

(6) विजयनाथ पुत्र रघुनाथ,
ग्राम—नेवादा, पोस्ट—बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड,बलिया। (सदस्य)

(7) श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सत्ता प्रसाद
ग्रा0-सिकन्दरपुर, पोस्ट—बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड,बलिया। (सदस्य)

(8) शिवानन्द प्रसाद पुत्र स्व.रामनिधुन
ग्रा.विशुनपुर,पो.बर्वां रसीपट्टी,तहसील—बेल्थरा रोड,बलिया। (सदस्य)

(9) श्रीमती रमा यादव पत्नी श्री सोमनाथ यादव
ग्रा0पो0—मसादपुर,मऊ। (सदस्य)

(10) श्रीमती सविता यादव पत्नी श्री भीम यादव, ग्रा.पो.—पतनीपुर,मऊ (सदस्य)

(11) रामाश्रय यादव पुत्र श्री रामदेव यादव, ग्रा.—नेवादा,पो.—बर्वां रसीपट्टी,बलिया (सदस्य)

पुस्तक संख्या 1 जिल्द 22/6/1951 पृ. 288
पृष्ठ 282

स्टाम्प प्र. [illegible]

11,500.00 — 240.00

[illegible] साक्षी — [illegible] — पुस्तक संख्या

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] दिनांक [illegible] समय [illegible]
को [illegible] हेतु पेश किया।

पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनेश कुमार पाण्डेय
उप निबंधक भीलवाड़ा
भीलवाड़ा द्वि.
25/07/2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनेश कुमार पाण्डेय
उप निबंधक भीलवाड़ा
भीलवाड़ा द्वि.
[illegible]

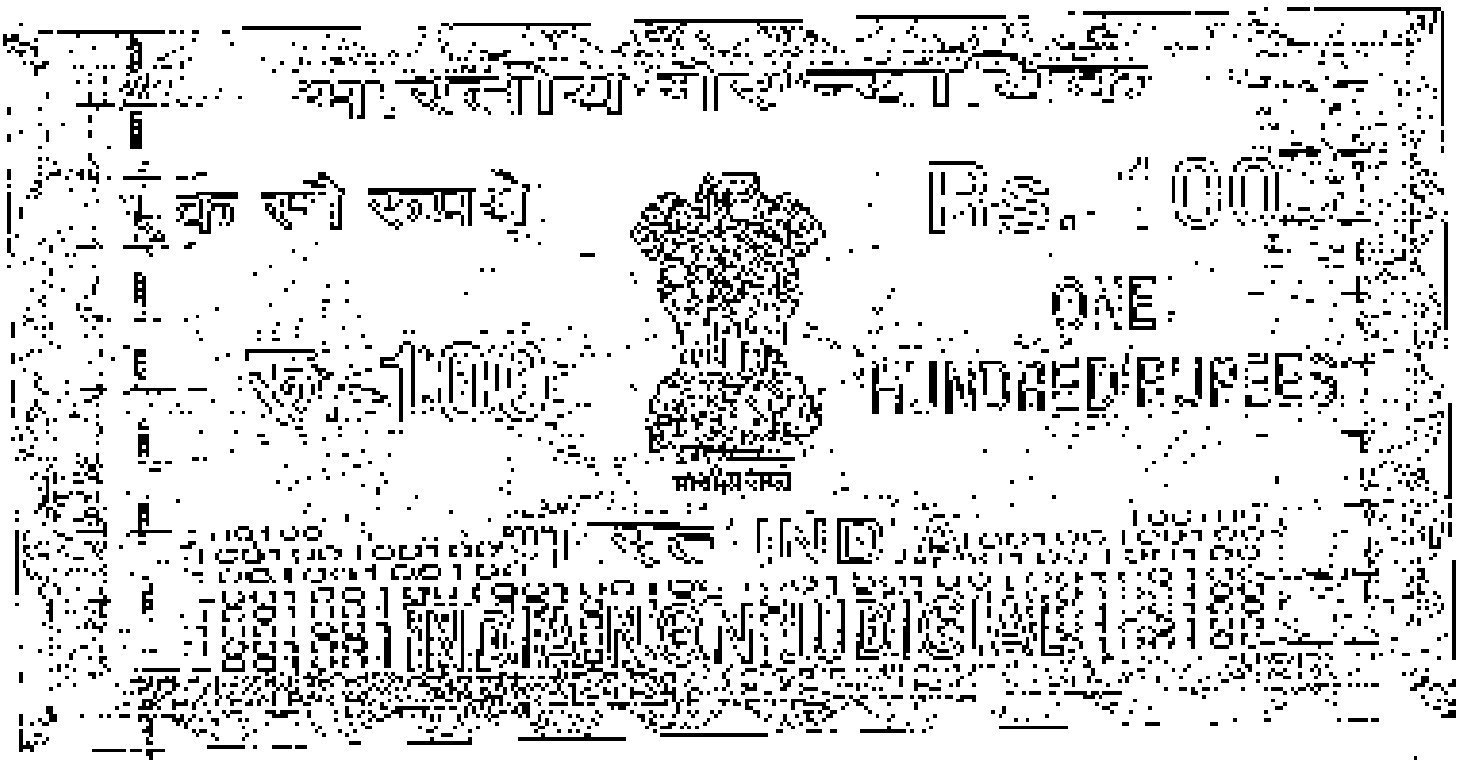

भारत INDIA

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 684465

(2)

ट्रस्ट का नाम —	श्री [illegible] एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
ट्रस्ट का पता—	नेवादा, पोस्ट— बरवाँ [illegible] तहसील—बेल्थरा रोड, जनपद—बलिया (उ0प्र0)— 221710
ट्रस्ट का मुख्यालय—	नेवादा, पोस्ट—बरवाँ [illegible] तहसील—बेल्थरा रोड, जनपद—बलिया (उ0प्र0)— 22171[illegible]
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र—	सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य— ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न—भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षा संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा पर्यन्त महाविद्यालय,संस्कृत महाविद्यालय,नर्सिंग संस्थान,चिकित्सा [illegible] एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में शिक्षा,मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों आदि की स्थापना करना। प्रौढ़ शिक्षा,अनौपचारिक [illegible] व कमजोर वर्ग के साथ—साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया करना। [illegible] शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों में विभिन्न क्षेत्रों की व्यवस्था,[illegible] शिक्षा संस्थान,प्रशिक्षण संस्थान,क्रीड़ा संस्थानों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने—कोने में प्रकाश फैले इसके लिए सम्भव कार्य करना, [illegible] की स्थापना करना,कम शुल्क में पात्र छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा सम्भव प्रयास करना,ट्रस्ट भूमि भवन व पूंजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन,पिछड़े व समाज के पिछड़े लोगों को [illegible] कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालित करना,[illegible] द्वारा चलाई गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग [illegible] करना,खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, चिकित्सालय,अनाथालय,छात्रावास,सांस्कृतिक केन्द्र,आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम,वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालित करना, नारी कल्याण,बालकल्याण,कुष्ठरोगी,पुस्तकालय,प्रेस की स्थापना एवं प्रकाशन करना, साप्ताहिक पत्रिका, अखबार, लाइब्रेरी,[illegible], उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, [illegible] की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवी आपदा में जिला,राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का सहयोग समय—समय पर आवश्यकतानुसार करेगा। ट्रस्ट सरकारी,अर्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय [illegible] स्थापित कार्य करेगा। ट्रस्ट सरकारी,अर्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन के [illegible] कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान की भूमि का क्रय—विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को [illegible] पर देना। बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0,डी0एल0एड0, टेक्निकल कालेज(यू0जी0सी0,एन0सी0टी0ई0,मदरसा बोर्ड,अरबी फारसी बोर्ड द्वारा),मदरसा मकतब एवं निजी स्कूलों की स्थापना करना।

[illegible]

Registration No: In Year. 2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

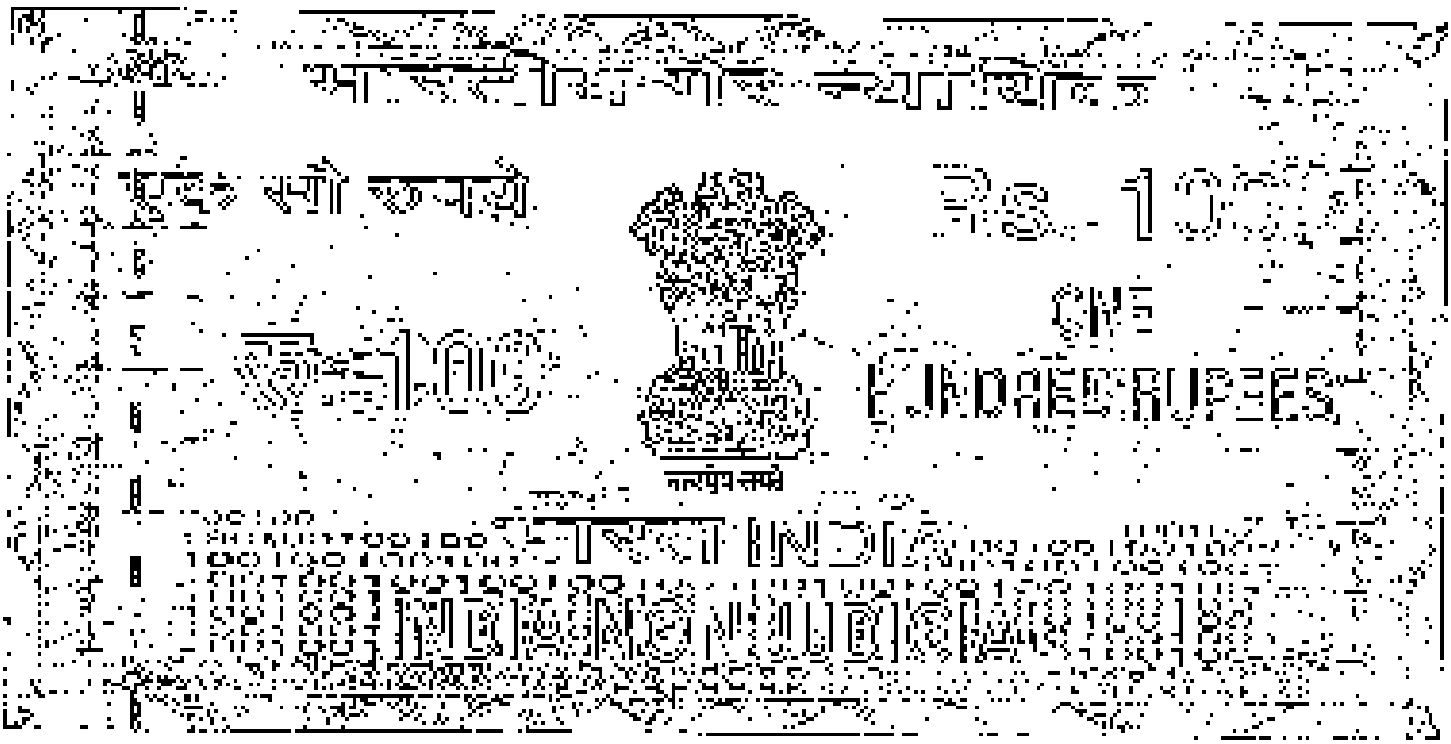

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 684456

(4)

सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के स्कूलों की स्थापना करना। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश–विदेश से चन्दा राशि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेंगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा । गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के उद्देश्यों,राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यों का सम्पादन करना। किसी व्यक्ति द्वारा उसके आग्रह पर उनके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा आश्रम, अनाथालय,वृद्ध आश्रम,चिकित्सालय,कुष्ठ आश्रम,विद्यालय, महाविद्यालय, व्यावसायिक ,तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सकीय संस्थाओं आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं उनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रास लीला, रामलीला, मेला,यज्ञ,आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं, अन्धविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समय–समय पर सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य सेवी संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि,बागवानी,पशुपालन,गृह उद्योग,खाद्य प्रसंस्करण,नारी उत्थान,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़े वर्ग का उत्थान,भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास,पर्यावरण का विकास,औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक,माध्यमिक, उच्च शिक्षा,प्राविधिक शिक्षा,चिकित्सा शिक्षा,कम्प्यूटर शिक्षा,खेल शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा,वन, आवास एवं शहरी नियोजन,गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, गणित, भाषा, धर्मार्थ कार्य,लोक निर्माण सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण,स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा,परिवहन, परिवार कल्याण,समाज कल्याण, श्रम,रोजगार एवं सेवायोजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं रसद, खनिज कर्म,खेल–कूद,युवा कल्याण,खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन,परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण,लघु उद्योग, अल्पसंख्यक, भाषा विभाग,ग्राम विकास,ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, सहकारिता, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा,खाद्य एवं विभागीय संस्थानों, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायतीराज, धर्मार्थ कार्य,मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,वाणिज्य, भौगोलिक, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जन सम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण,कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, प्रशिक्षण,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, मानी उद्यान, एवं

[signature]

गवाह

Registration No.: 16   Year : 2016   Book No.: 1

W1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

W2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

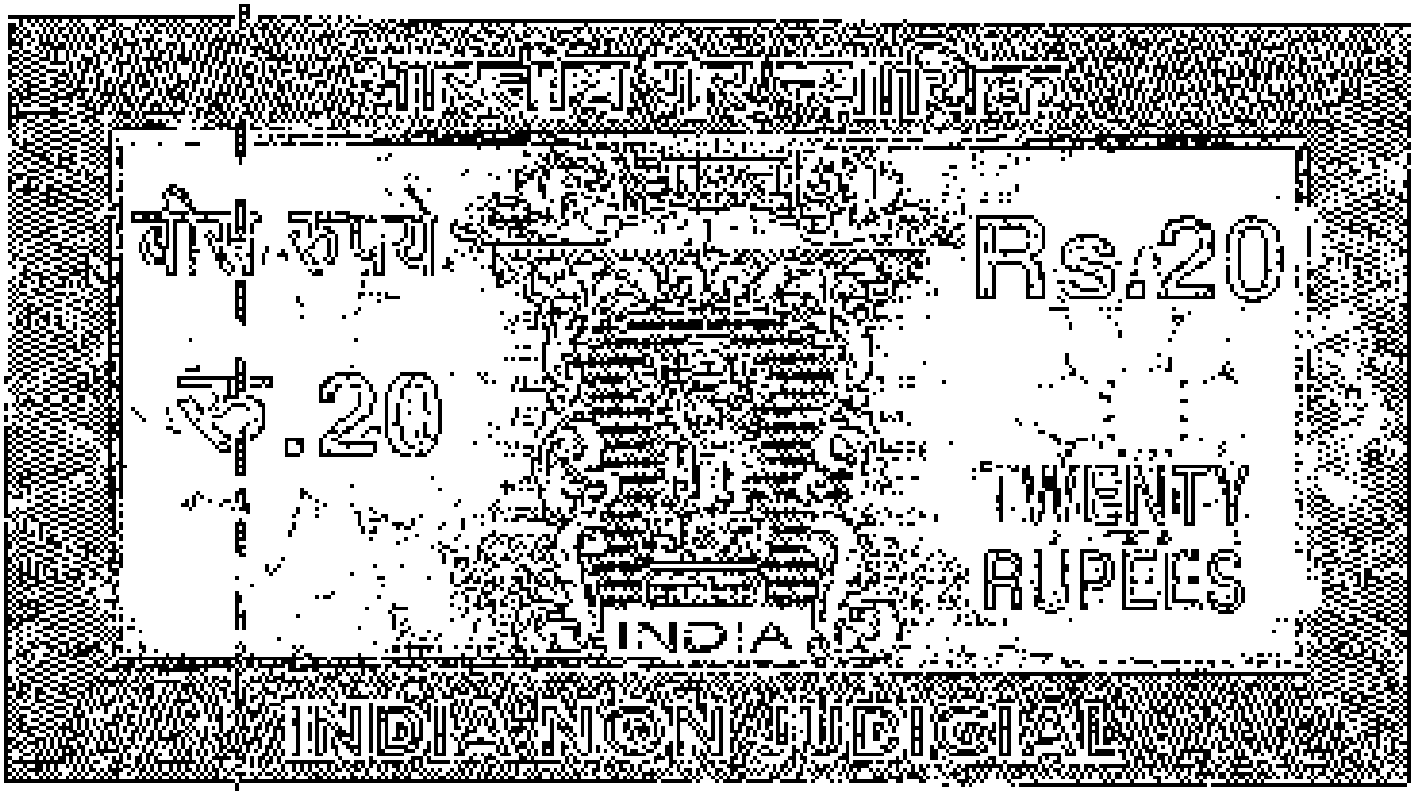

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 531466

नियंत्रण/गौ—पशुओं आदि स्वच्छीकरण, सामुदायिक एवं स्वच्छता/सहकारी समितियां, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, कल्याण संस्थानों हित एवं बीमा, स्थानीय निकाय यूनानी चिकित्सा/संस्थान एवं प्रजनन संस्थाये, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,रिमोट सैंसिंग, ललित कला,शिल्पकला/वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आंतरिक लेखा परीक्षा,पर्यावरण, नाटक/संगीत संग्रहालय हेतु संस्थाएं, भूमि सुधार/संरक्षण, विधि, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्ध करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा- 13(1) तथा धारा-11(5) एवं संबंधित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

हिन्दी,संस्कृत,उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं में प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल,इण्टर कालेज,डिग्री कालेज, वैदिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, तकनीकी चिकित्सा व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

संस्था को दान देने वालों के लिए 12ए, आयकर, 10/23 व 80जी के अन्तर्गत मिलने वाली छूटों को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

ट्रस्ट/ट्रस्टीयों का कार्यकाल— ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के मरने के बाद उनके पुत्र /उत्तराधिकारी में से जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/ मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रस्थिति— श्री हरदेव एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 नाट फार प्राफिट के अन्तर्गत।

২২/৬/৯৩

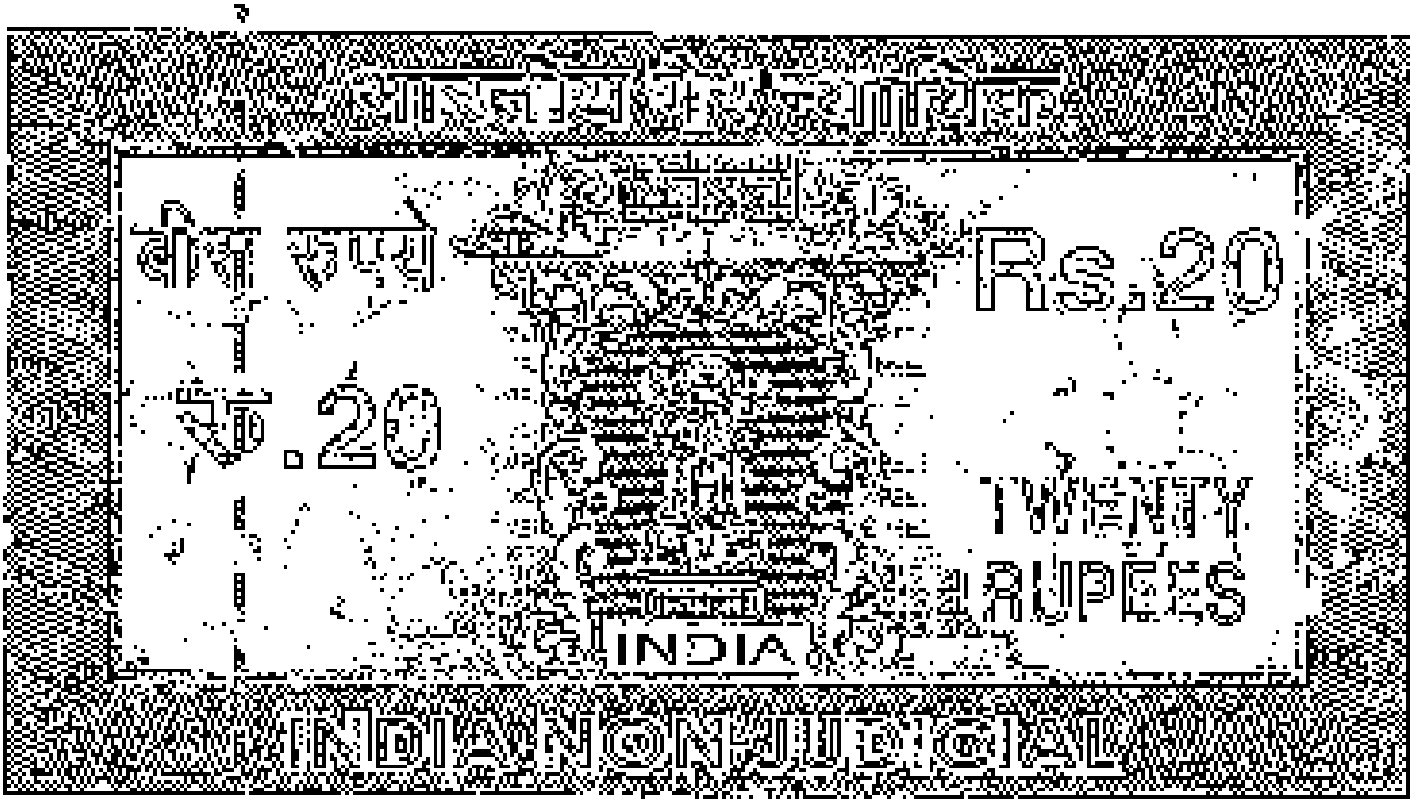

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 531467

ट्रस्ट की सदस्यता— ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं सहसंस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 11 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम, द्वितीय की सहमति से 51,000/— रुपये(इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा करवाकर नया स्थाई सदस्य बनाया जा सकता है। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के वंशजों पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त रुपया 10,000/-(दस हजार) सदस्यता शुल्क जमा करवाकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा परन्तु प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा ।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य—

मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी प्रथम

1. संरक्षक ट्रस्टी(न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देना ।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट(न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे ।
3. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना ।
5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
6. ट्रस्ट(न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का सलाह देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
7. ट्रस्ट(न्यास) वाह्य एवं आंतरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट एवं न्यास के विकास के विभिन्न योजनाओं क्रियान्वित करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों की हस्ताक्षरित कार्यवाही से अवगत कराना ।
8. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि-भवन या अन्य किराया लीज(पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से कानूनी मसला एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना ।
9. मुख्यट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

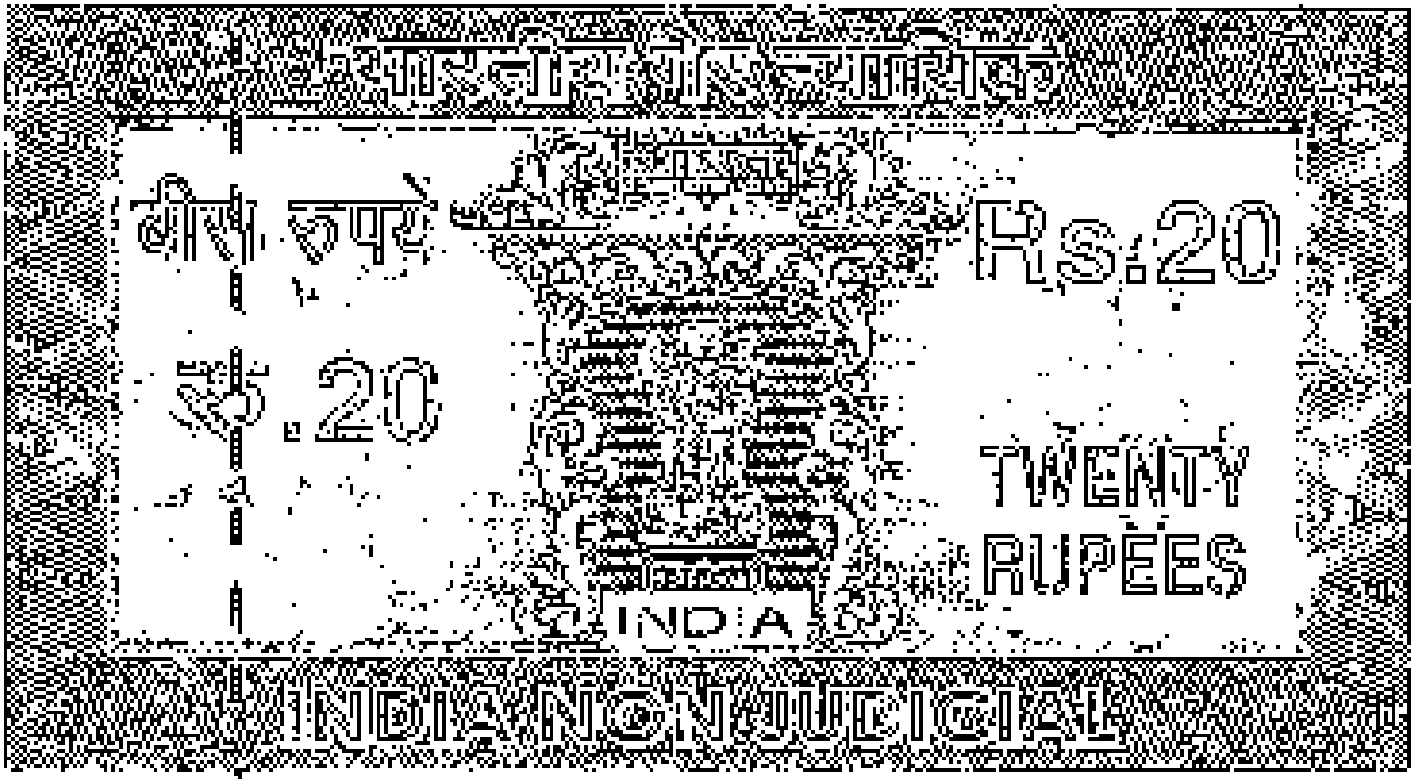

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 531468

10. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान /दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग,चन्दा,दान जनता किसी भी व्यक्ति,फर्म,एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त सहर्ष स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना ।

11. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति,अनुशासनात्मक कार्यवाही,पदोन्नति,निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास है।

12. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उनके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा ।

13. किन्हीं भी समान उद्देश्य की किसी अन्य ट्रस्ट(न्यास) परिषद/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

14. ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों,उपनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से निष्कासित करना ।

15. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों,क्रिया-कलापों मे निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना,पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि मे विवादित नहीं किया जा सकेगा न ही चुनौती दी जा सकेगी।

16. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं,कार्यक्रम,क्रिया कलापों आदि की समस्त धनराशियां एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबल कार्यों मे व्यय करना।

17. ट्रस्ट के पदाधिकारी को आकस्मिक अथवा स्वाभाविक मृत्यु के पश्चात उसका वैधिक उत्तराधिकारी उसी पद पर नियुक्त समझा जायेगा ।

[illegible] ૨૨/૬/૧૯૯૧ [illegible]

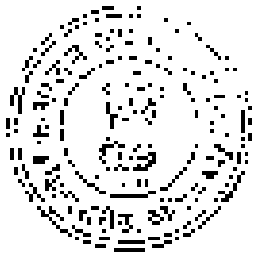

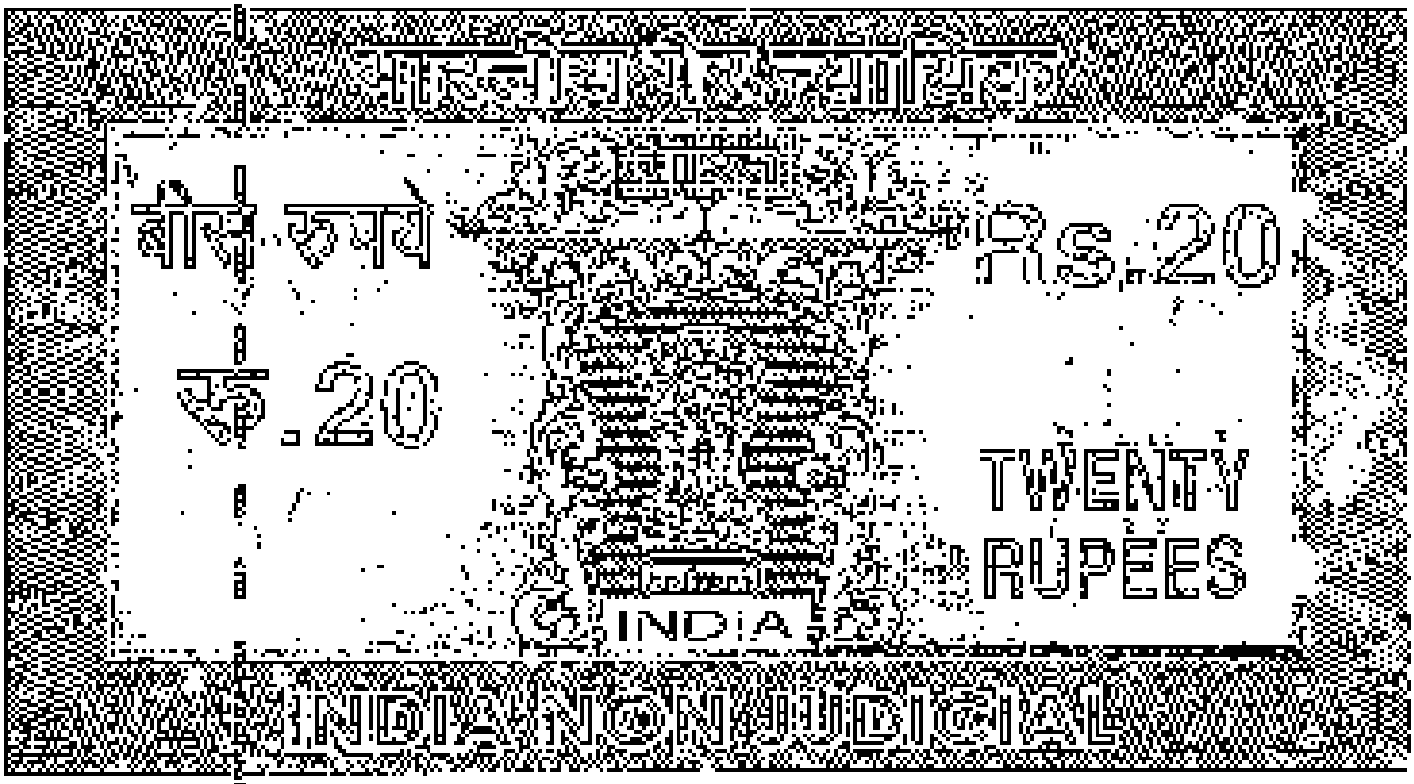

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 531469

(8)

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय–

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके कार्य का सम्पादन महासचिव अपने हस्ताक्षर से करेगा। तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा ।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना ।
3. ट्रस्ट(न्यास) के उन्नति के लिए दिशा–निर्देश देना ।
4. नये सदस्यों के लिए सदस्यता रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमति से जारी करना।
5. ट्रस्ट(न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति,अनुशासनात्मक कार्यवाही,पदोन्नति,निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु बाद पर निर्णय कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है ।
6. ट्रस्ट(न्यास) की उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से सामंजस्य स्थापित कर योजनाएं प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट(न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
7. ट्रस्ट(न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना ।

सदस्य ट्रस्टी–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वांगीण हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

স্বাঃ ২২/৬/১৯৯৪ ইং ২৮৪
২৮২

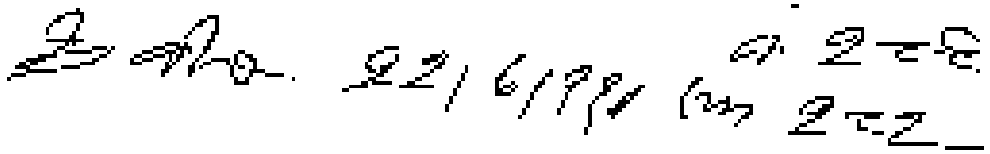

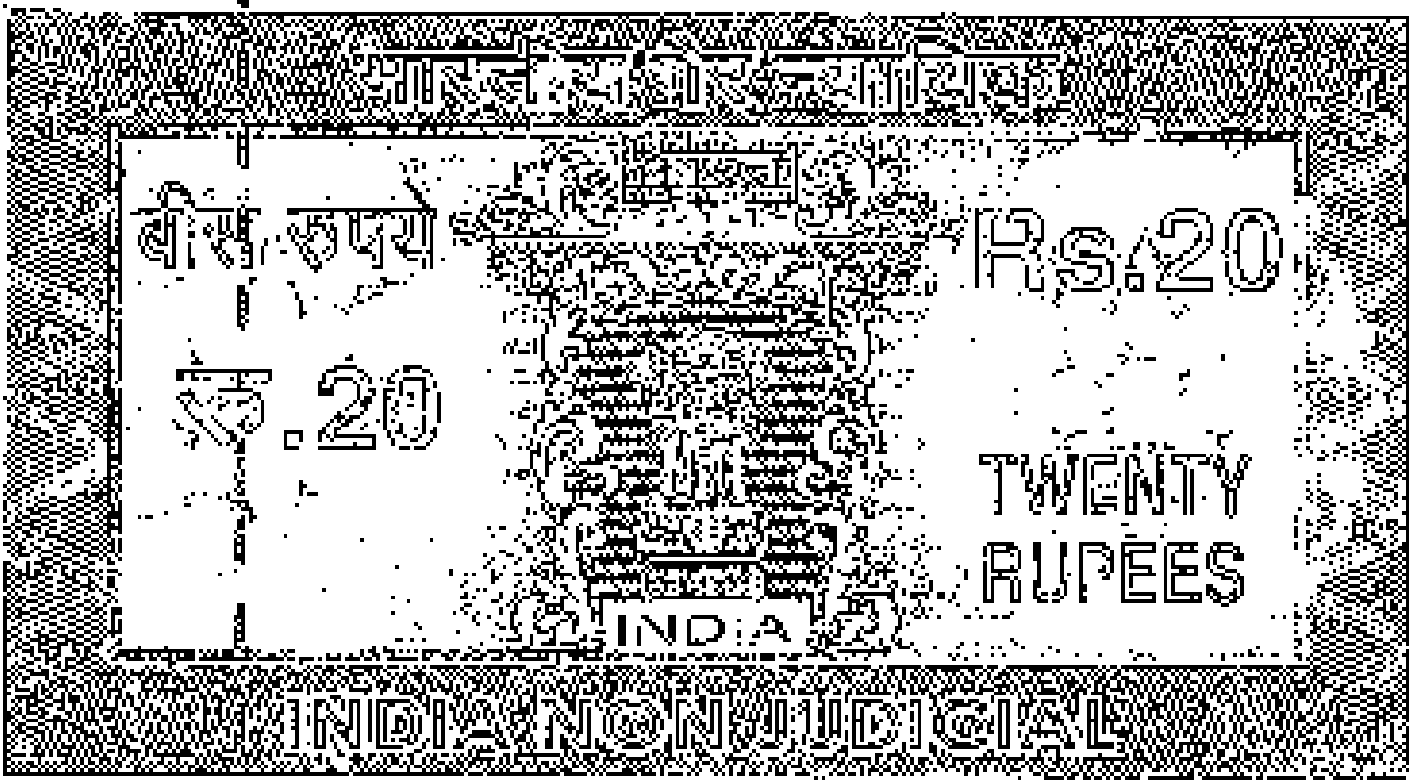

भारत INDIA

बीस रुपये Rs.20 रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 531470

साधारण सभा(गठन)- साधारण सभा का गठन ट्रस्ट(न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अपने संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 11,000/— रुपए संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमाकराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 15 होगी तथा इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

बैठकें—

1. **साधारण बैठकें—** ट्रस्ट (न्यास)के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार भी बुलाई जा सकती है।
2. **विशेष बैठक—** दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

22/6/1991

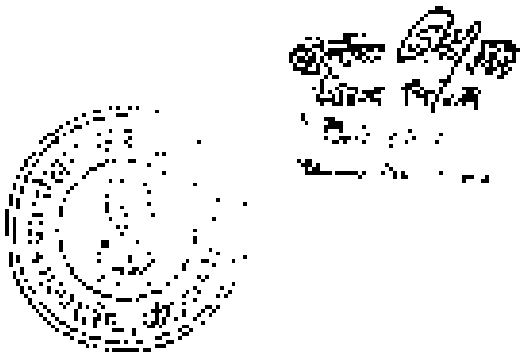

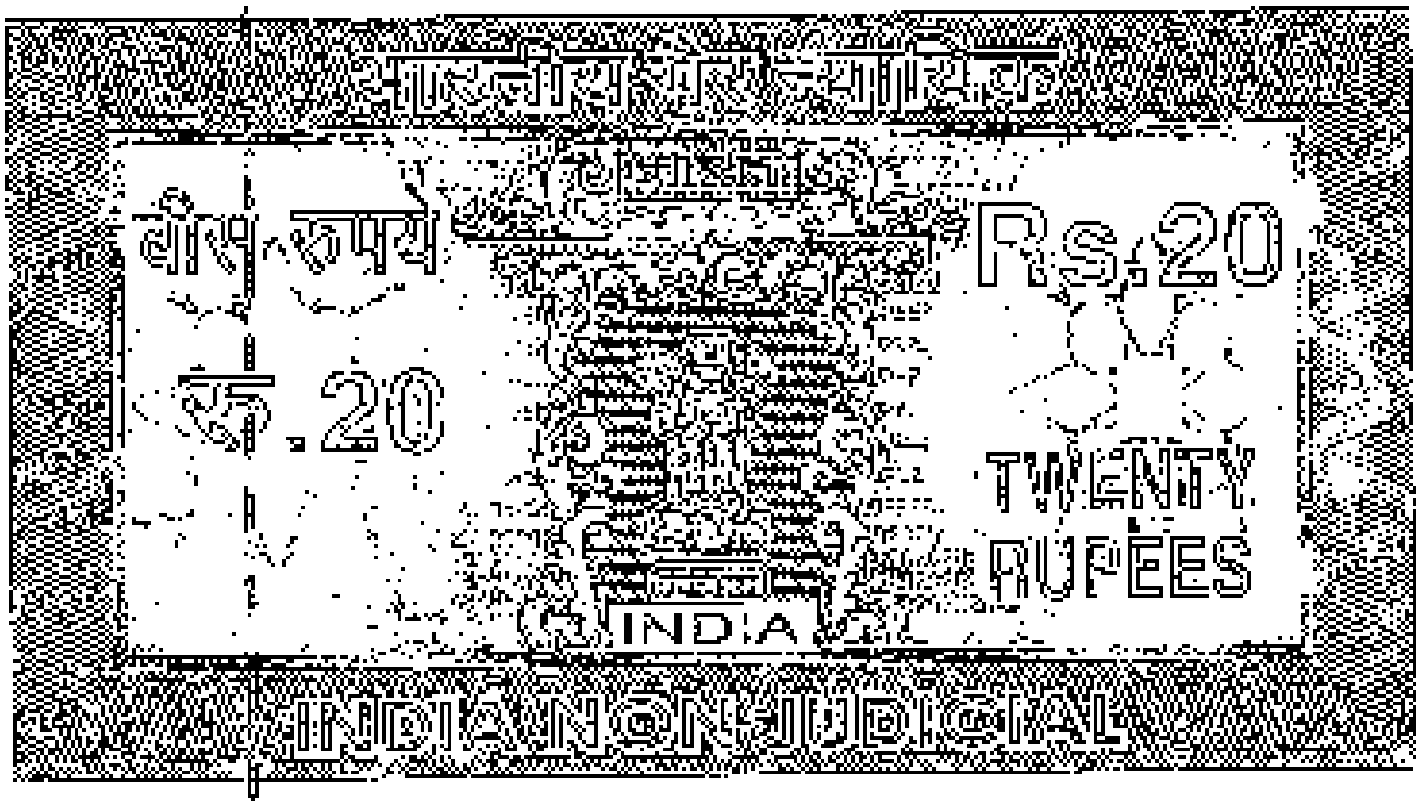

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 531473

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना जारी करके सचिव/मंत्री बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति— बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है। यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन— साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन एक वर्ष जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य— साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

अ— वार्षिक आय-व्यय बजट पास करना।

ब— ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

स— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

द— ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

क्रमशः

[illegible] ২২/৬/[illegible] [illegible]

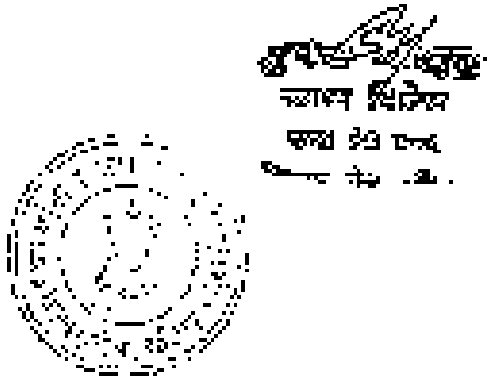

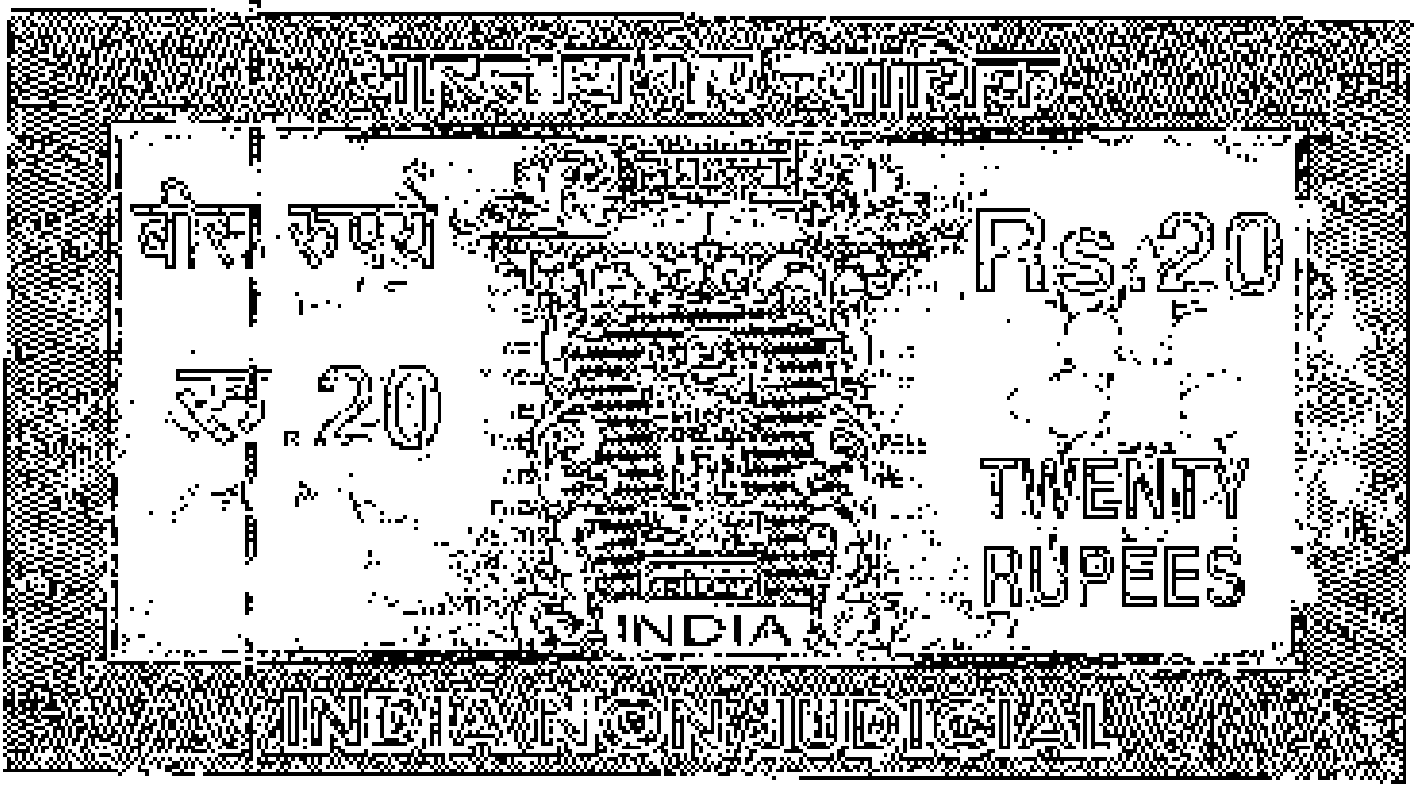

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 531472

(17)

ट्रस्ट(न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति—

गठन— साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य । कमेटी मे ट्रस्ट के सदस्य पद ग्रहण कर सकते है, लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं उसके चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी । प्रबन्ध समिति कालातीत नही होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था की प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें—

सामान्य— सामान्य बैठकें ट्रस्ट(न्यास) का महासचिव प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा ।

विशेष— विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

न्यासी

[illegible]

[illegible] ୨୨।୬।୧୯୯୪ [illegible]

[illegible]

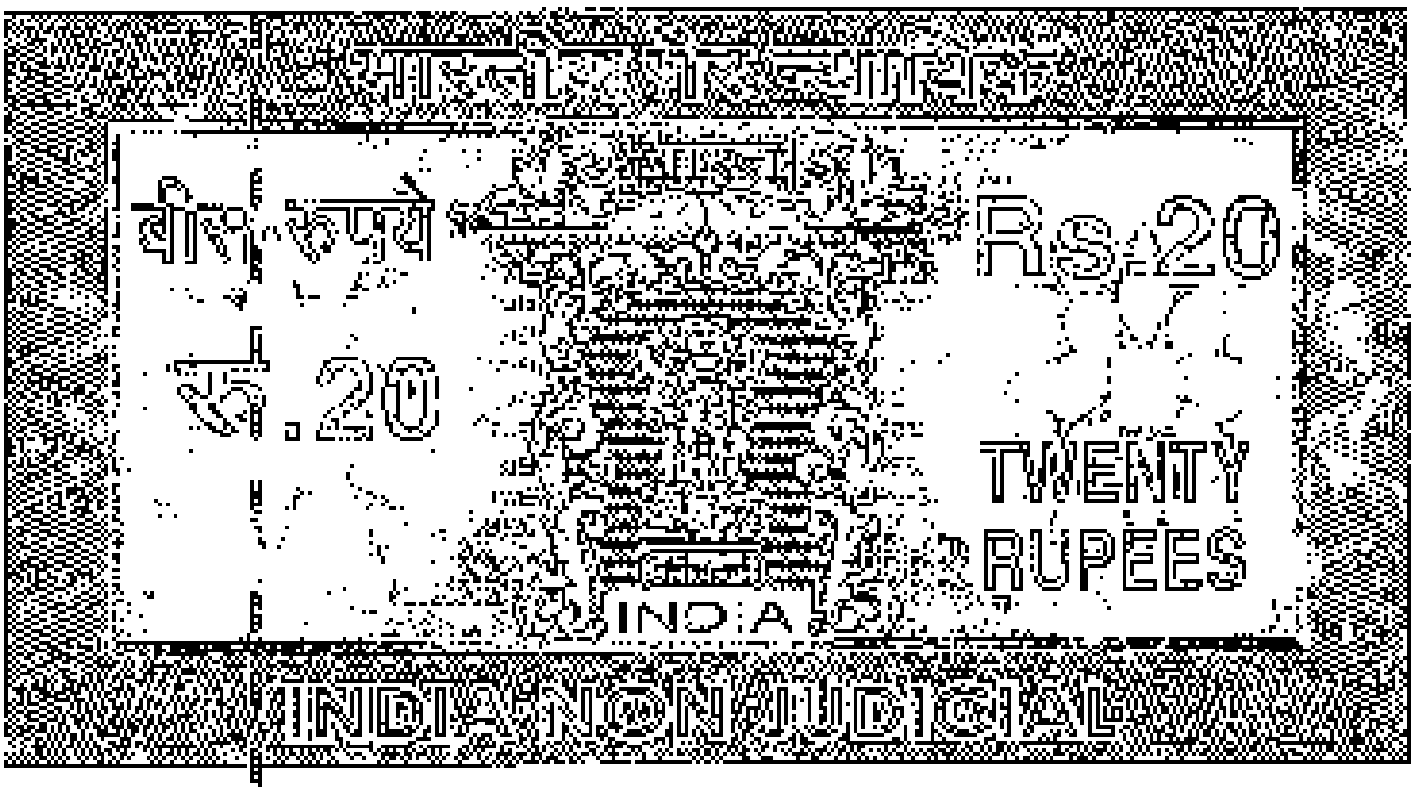

भारत INDIA NON JUDICIAL

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   2944 531473

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति, महासचिव एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्रों द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों की 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति— किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग—पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट(न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की सहमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी । नये सदस्य की स्थाई नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 10000/—रुपये नकद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी । शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव के हस्ताक्षर से निर्गत होगी ।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक स्थगित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अर्थात ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति,निलम्बन,निष्कासन,पदोन्नति,विनियमितीकरण का अनुमोदन करना।
4. आय—व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समक्ष साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना ।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया— समय—समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकती है। नियमावली की भाषा: अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को भरने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा ।

[illegible] 22/6/1996 [illegible]

[illegible]

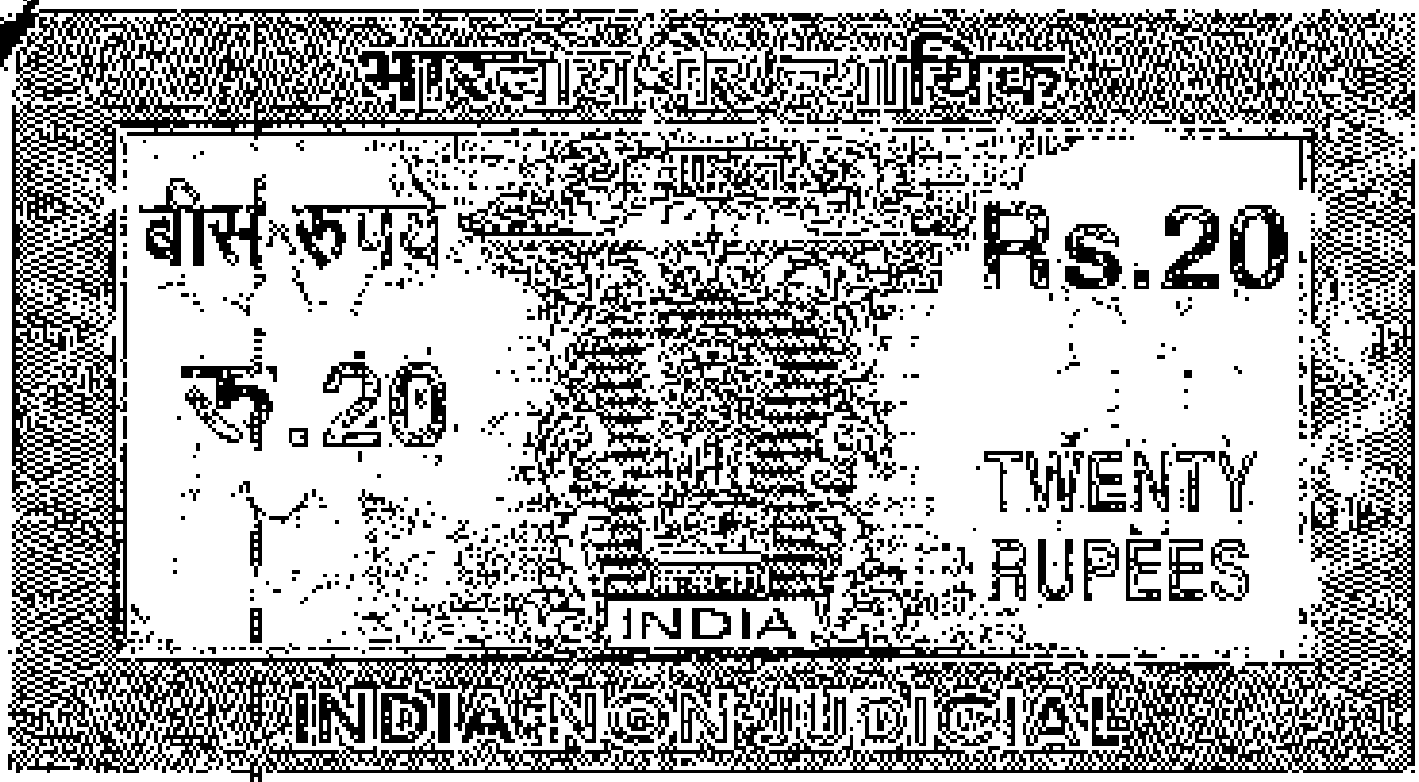

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

(थ)

ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही— ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी ।

श्री हरदेव एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के पास वर्तमान समय में कुल रु0 11,500/–(रुपये ग्यारह हजार पांच सौ मात्र) के अतिरिक्त कोई भी चल व अचल सम्पत्ति नहीं है ।

दिनांक:

ड्राफ्ट तैयारकर्ता—

शनाख्त गवाह—

शनाख्त गवाह—

[illegible] ୨୨/୬/୧୯୯୪ [illegible]

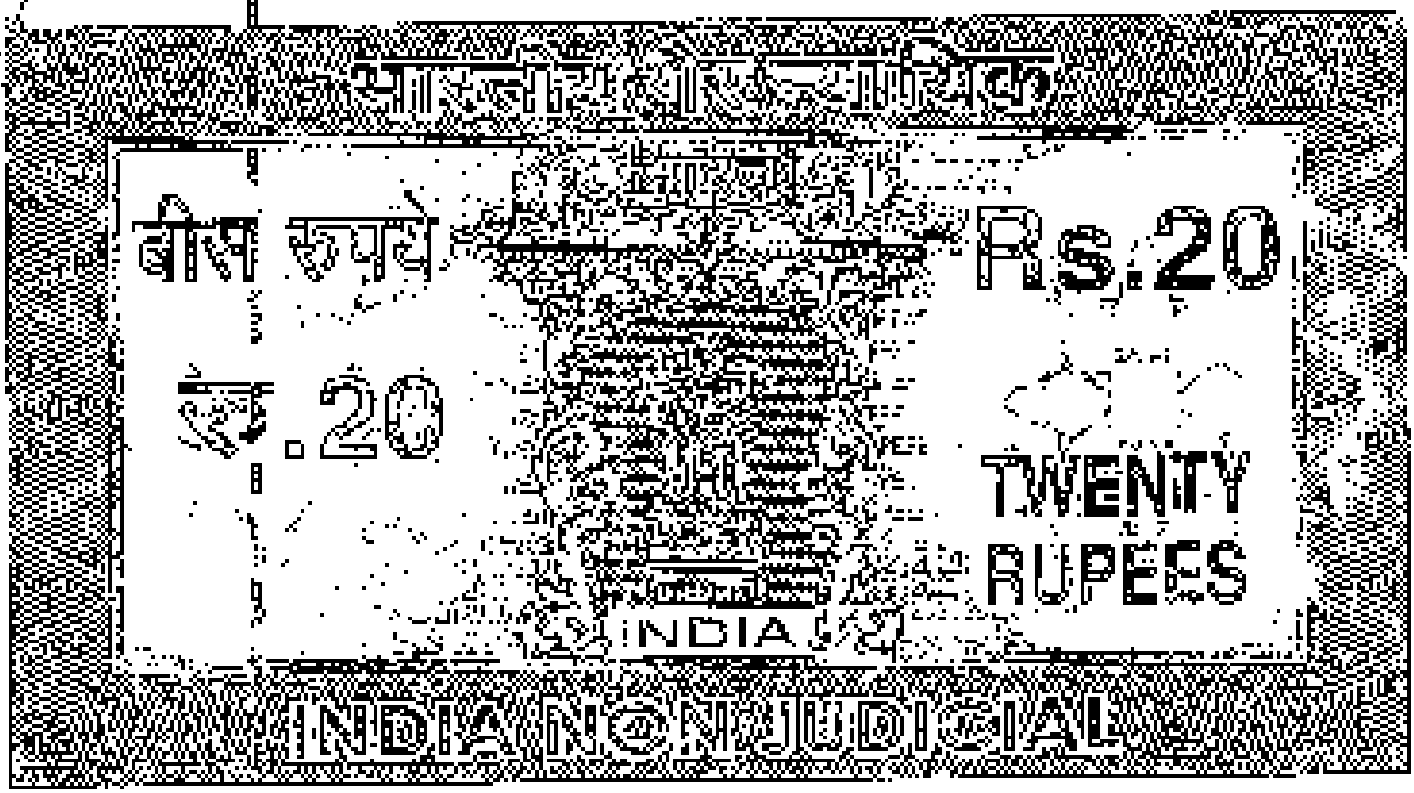

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

531474

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष – ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी। जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा सम्बन्धित अन्य शाखाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के माध्यम द्वारा किया जायेगा।

23. ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण– प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संस्थित अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

25. ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख– ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैशबुक, अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

26. श्री हरदेव एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट (न्यास) के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से 11,000/–रुपये प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

[illegible] ૨૨/૬/૧૯૮૧ [illegible] ૨૬૪ [illegible] ૨૮૨

[illegible]